उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

18 मई, 2023 ई0

संख्या 105/VIII-1/23–147(श्रम)/2001–राज्यपाल, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या 28 सन् 1947) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (1904 का 01) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, तथा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्याः 4837/श्रम एवं सेवायोजन/2002, दिनांक 24.10.2002 का अधिक्रमण करते हुए औद्योगिक विवादों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4ट के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का प्रयोग नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा स्तम्भ–3 में उल्लिखित अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर स्तम्भ–4 में उल्लिखित विवाद के सन्दर्भ में सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुसूची

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकारिता	संदर्भो का क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।	समस्त उत्तराखण्ड राज्य।	धारा–2(क) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद।
2	अपर श्रम आयुक्त, देहरादून।	समस्त उत्तराखण्ड राज्य।	–तदैव–
3	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड कार्यालय में तैनात समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।	समस्त उत्तराखण्ड राज्य।	–तदैव–
4	उप श्रम आयुक्त, देहरादून।	जनपद देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी।	–तदैव–
5	उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार।	जनपद हरिद्वार, चमोली, रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल।	–तदैव–
6	उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी।	जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।	–तदैव–
7	उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर।	जनपद ऊधमसिंह नगर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़।	–तदैव–

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 105/VIII-1/23-147-Labour/2001, Dated May 18, 2023 for general information.

NOTIFICATION

May 18, 2023

No.105/VIII-1/23-147-Labour/2001--In exercise of the powers conferred by section 11(A) of the Uttar Pradesh Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 28 of 1947) (as in force in Uttarakhand) (herein after referred to as the said Act) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (01 of 1904), the Governor by superseding the notification number: 4837/ Labour and Employment /2002, dated: 24-10-2002, issued earlier, is pleased to accorded sanction to exercise of all the necessary powers by the State Government, under section 4(k) of the said Act, in relation to industrial disputes, mentioned in column-4 within the area of jurisdiction mentioned in column-3 by the Officers mentioned in column-2 of the schedule given below:-

Schedule

No.	Designation of the Officer	Jurisdiction	Jurisdiction of references
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Labour Commissioner, Uttarakhand.	Whole state of Uttarakhand.	Industrial dispute under section 2(a)
2	Additional Labour Commissioner, Dehradun	Whole state of Uttarakhand.	-As above-
3	All Joint/Deputy/Assistant Labour Commissioners	Whole state of Uttarakhand.	-As above-
4	Deputy Labour Commissioner	District Dehradun, Tehri Garhwal and Uttarkashi.	-As above-
5	Deputy Labour Commissioner	District Haridwar, Chamoli, Rudraprayag and Pauri Garhwal	-As above-
6	Deputy Labour Commissioner	District Nainital, Almora and Bageshwar	-As above-
7	Deputy Labour Commissioner	District Champawat, Udham Singh Nagar and Pithoragarh	-As above-

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDARAM,

Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 10–06–2023, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 श्रम/285–28–07–2023–100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।